[2019] 9 एस. सी. आर 979

/

एम. पी. और ए. एन. आर. बनाम राज्य

डूंगाजी (डी) एल. आर. एस. और ए. एन. आर. (2011 की सिविल अपील No.11326) 16 जुलाई, 2011

/

[एम**.** आर**.** शाह और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

मध्य प्रदेश कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960:धारा 46-वादी की अधिशेष भूमि का निर्धारण करते समय सक्षम प्राधिकारी ने उसकी पत्नी द्वारा उसकी माँ से विरासत में मिली भूमि को शामिल किया-सक्षम प्राधिकारी के आदेश को चुनौती देने वाले राज्य के खिलाफ वादी द्वारा मुकदमा और उसकी पत्नी के खिलाफ भी यह घोषणा करने की मांग करते हुए कि उनके बीच विवाह पहले से ही प्रथागत तलाक के माध्यम से भंग कर दिया गया था और इसलिए उसकी पत्नी की भूमि को उसकी अधिशेष भूमि का निर्धारण करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता था-मुकदमा निचली विचारण न्यायालय के साथ-साथ पहली अपीलीय विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया-उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील में, मुकदमे का आदेश दिया-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितःएस को देखते हुए।46 सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को चुनौती देने वाले दीवानी अदालत के समक्ष मुकदमे की स्थिरता के खिलाफ एक पूर्ण प्रतिबंध था-हालांकि, तलाक की घोषणा की मांग करने वाला मुकदमा उसकी पत्नी के लिए बनाए रखने योग्य था-मुकदमे के साथ-साथ पहली अपीलीय अदालत ने अपने समवर्ती निष्कर्ष में प्रथागत तलाक को अस्वीकार कर दिया-इसलिए, उच्च न्यायालय , यू/एस की शक्तियों का प्रयोग करते हुए।100 सी. पी. सी., तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था और इस प्रकार अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गया-गुण-दोष पर भी, वादी प्रथागत तलाक को साबित करने में विफल रहा-वादी केवल अधिनियम के प्रावधानों से बाहर निकलने की दृष्टि से प्रथागत तलाक का मामला लेकर आया था-मुकदमा खारिज होने योग्य है-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -एस. 100.

/

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.** दिनांक **1** के आदेश द्वारा और मध्य प्रदेश कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिनियम**, 1960** के प्रावधानों के अंतर्गत पालन की जाने वाली उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद**,** सक्षम प्राधिकरण ने अधिनियम **1960** के प्रावधानों के अंतर्गत **2** एकड़ भूमि को अधिशेष भूमि घोषित किया।चूंकि वादी की पत्नी को अपनी माँ से **19.89** हेक्टेयर भूमि विरासत में मिली थी**,** इसलिए**,**

/

/

979 ए.

980 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 9 एस. सी. आर.

इस प्रकार**,** वह उपरोक्त भूमि की पूर्ण स्वामी बन गई।अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार**,** पत्नी द्वारा धारण की गई भूमि को पति के परिवार के स्वामित्व में शामिल करना आवश्यक था।इसलिए**,** सक्षम प्राधिकरण ने वादी के परिवार के स्वामित्व में **19.89** हेक्टेयर भूमि को शामिल किया और इसके परिणामस्वरूप **18.05.1976** के आदेश द्वारा **57.32** एकड़ भूमि को अधिशेष भूमि घोषित किया।**[**पैरा **7] [990-**सी-डी**]**

/

2. भूमि को अधिशेष भूमि घोषित करने वाला सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अधिनियम **1960 (**अधिनियम **1960** की धारा **41** और **42)** के अंतर्गत प्रदान की गई अपील और आगे के संशोधन के अधीन है।अधिनियम **1960** की धारा **46** में प्रावधान है कि किसी भी दीवानी न्यायालय को किसी भी ऐसे प्रश्न को निपटाने**,** निर्णय लेने या उससे निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं है**,** जिसे अधिनियम **1960** द्वारा या उसके अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निपटाने**,** निर्णय लेने या निपटाने की आवश्यकता है।इसलिए**,** अधिनियम **1960** की धारा **46** के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को चुनौती देने वाले मुकदमे की रखरखाव के खिलाफ एक पूर्ण प्रतिबंध होगा।उपरोक्त के बावजूद और **1960** के अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी अपील/संशोधन को प्राथमिकता दिए बिना**,** वादी ने सिविल न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर कर सक्षम प्राधिकरण के दिनांकित आदेश को अमान्य घोषित करने की घोषणा के लिए प्रार्थना की।यह सच है कि वाद में वादी ने यह घोषणा करने के लिए भी प्रार्थना की कि उसके और उसकी पत्नी के बीच तलाक प्रथागत प्रक्रिया के आधार पर हुआ था।इसलिए**,** उसी राहत को बनाए रखने योग्य कहा जा सकता है।लेकिन निश्चित रूप से**,** सक्षम प्राधिकरण द्वारा दिनांकित **18.05.1976** द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाला मुकदमा बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं था।इसलिए**,** मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में**,** उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक **1** के आदेश अपास्त करते हुए करने और रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है।**[**पैरा **7] [990-**ई-एच**; 991-**ए-सी**]**

/

/

/

/

सूरज बनाम एसडीओ (1995) 2 एससीसी 45:[1994] 5 पूरक।एससीआर

/

686; एल**.** आर**.** वी**.** द्वारा मोहनलाल नानभाई चोकसी **(**मृत**)**राज्य

गुजरात (2010) 12 एस. सी. सी. 726:[2010] 12 एस. सी. आर. 499-पर निर्भर।

धुलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए**.** आई**.** आर**. 1969** एस**.** सी**.**

78 :[1968] एससीआर **662**-प्रतिष्ठित।

/

981

एम. पी. और ए. एन. आर. बनाम राज्यडूंगाजी (डी) एल. आर. एस. और ए. एन. आर.

/

भारत संघ बनाम श्री कांत शर्मा **(2015) 6** एस**.** सी**.** सी**. 773:[2015] 4** एस**.** सी**.** आर**. 676;** स्वप्नांजली संदीप पाटिल

बनाम संदीप आनंद पाटिल (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 329;

सुब्रमण्यम बनाम एम**.** चंद्रलेखा **(2005) 9** एससीसी **407:[2004] 6** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 285;** यमनजी जे**.** जाधव बनाम निर्मला **(2002) 2** एस**.** सी**.** सी**. 637;** द्वारका प्रसाद अग्रवाल बनाम रमेश

/

चंदर अग्रवाल (2003) 6 एससीसी 220:[2003] 1 पूरक।एस. सी. आर. 376-संदर्भित।

3. नीचे दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष थे कि मूल वादी यह साबित करने और स्थापित करने में विफल रहा है कि वादी और उसकी पत्नी के बीच तलाक पहले ही प्रथागत तलाक के माध्यम से हो चुका था।नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने विशेष रूप से प्रदर्शनी पी**5** में तलाक विलेख को अस्वीकार कर दिया।उपरोक्त निष्कर्षों को नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर दर्ज किया गया था।इसलिए**,** सी**.** पी**.** सी**.** की धारा **100** के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए**,** उच्च न्यायालय नीचे दिए गए दोनों न्यायालय ों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के उपरोक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था।इसलिए**,** उच्च न्यायालय ने

सी. पी. सी. की धारा **100** के अंतर्गत दूसरी अपील में आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। **[**पैरा **8] [991**-एफ-एच**]**

/

/

4. यहां तक कि गुण-दोष के आधार पर भी नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों का यह मानना सही था कि वादी प्रथागत तलाक को साबित करने में विफल रहा जैसा कि दावा किया गया था।इससे पहले किसी भी समय वादी या उसकी पत्नी ने प्रदर्शनी पी**5** में तलाक विलेख के आधार पर प्रथागत तलाक का दावा नहीं किया था।इससे पहले किसी भी समय वादी या उसकी पत्नी की ओर से यह मामला नहीं था कि वर्ष **1962** में वादी और उसकी पत्नी के बीच तलाक हो गया था।वर्ष **1971** में**,** वादी की पत्नी ने एक बिक्री विलेख निष्पादित किया जिसमें उसे वादी की पत्नी बताया गया है। सक्षम प्राधिकारी के समक्ष न तो वादी ने और न ही उसने प्रथागत तलाक का दावा किया।यहां तक कि राजस्व अभिलेख में भी वादी की पत्नी का नाम बदल दिया गया था।परिस्थितियों में और अभिलेख पर साक्ष्य के मूल्यांकन पर**,** विचारण विचारण न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया कि वादी प्रथा के अनुसार दोनों के बीच तलाक को साबित करने में विफल रहा है।केवल अधिकतम सीमा अधिनियम **1960** के प्रावधानों से बाहर निकलने की दृष्टि से**,** बाद में और बहुत देर से**,** वादी प्रथागत तलाक का मामला लेकर आया।प्रदर्शनी पी**5** को उठाया गया और एक के साथ दस्तावेज़ बनाया गया

/

/

/

/

982 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 9 एस. सी. आर.

/

अधिकतम सीमा अधिनियम **1960** के प्रावधानों से बाहर निकलने का दृष्टिकोण।उच्च न्यायालय ने न्यायालय ों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में स्पष्ट रूप से गलती की है**,** जो नीचे अभिलेख पर साक्ष्य के मूल्यांकन पर थे।**[**पैरा **9** और **9.1] [992**-ए-एफ**]**

संदर्भित निर्णय

/

[1994] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 686** पर निर्भर

पैरा **4.2**

[2010] 12 एससीआर **499**

पर विश्वास किया

पैरा **4.2**

[1968] एससीआर **662**

प्रतिष्ठित

पैरा **4.2**

[2015] 4 एससीआर **676**

संदर्भित

पैरा **4.2**

/

(2019) एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 329** पैरा **4.5 [2004] 6** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 285** पैरा **4.5 (2002) 2** एस**.** सी**.** सी**. 637** पैरा **4.5 [2003] 1** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **5.3** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 376**

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2011 की सिविल अपील सं. 11326

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के निर्णय और आदेश से, इंदौर की पीठ ने 2003 की दूसरी अपील संख्या 580 में सुश्री प्राची मिश्रा, हर्ष पराशर, चैतन्य, अमन पांडे, सनी चौधरी, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

गुरु कृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिव्यकांत लाहोटी, आनंद सोनी, पीयूष सिंह, अर्धेंदुमौली कुमार प्रसाद, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम. आर. शाह, जे. 1.मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 2003 की दूसरी अपील में इंदौर की पीठ द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-मूल वादी-डुंगाजी (जिसका प्रतिनिधित्व अब उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है) द्वारा की गई उक्त अपील को अनुज्ञात कर लिया है और इसके परिणामस्वरूप यह घोषणा करते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया है कि डुंगाजी (मूल वादी) और उनकी पत्नी कावेरीबाई के बीच विवाह को पारंपरिक तलाक के माध्यम से भंग कर दिया गया था, बहुत पहले ए

/

/

983

एम. पी. और ए. एन. आर. बनाम राज्यडूंगाजी (डी) एल. आर. एस. और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

मध्य प्रदेश सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट, 1960 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधानों को लागू करने के लिए और यह कि तलाक के बाद कावेरीबाई को अपनी मां से विरासत में मिली संपत्ति को अधिनियम के अंतर्गत अधिशेष क्षेत्र के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए डुंगाजी की पारिवारिक संपत्ति नहीं माना जा सकता है और उच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि सक्षम प्राधिकरण ने दिनांकित 18.05.1976 आदेश पारित करने से पहले विधि के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया था और परिणामस्वरूप उसी आदेश को अमान्य घोषित कर दिया था, मध्य प्रदेश राज्य और अन्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:कि, डूंगाजी की पत्नी कावेरीबाई को वर्ष 1966 में अपनी माँ की मृत्यु के बाद 19.89 हेक्टेयर भूमि (विवादित भूमि) विरासत में मिली।कहा जाता है कि उक्त कावेरीबाई ने विवादित भूमि को 18.11.1971 दिनांकित बिक्री विलेख के माध्यम से बेच दिया था।कि अधिशेष भूमि के निर्धारण के संबंध में अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई थी।सक्षम प्राधिकारी ने अपने दिनांक 1 के आदेश द्वारा कावेरीबाई को डुंगाजी के परिवार के सदस्य के रूप में माना और अधिशेष क्षेत्र के निर्धारण के उद्देश्य से डुंगाजी के परिवार द्वारा धारित भूमि के रूप में उनकी माँ से विरासत में मिली 2 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया।2.1 उस डूंगाजी ने अधिनियम, 1960 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को चुनौती देते हुए उज्जैन के विद्वान दीवानी न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया। कि विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय और डिक्री दिनांक 27.04.1988 द्वारा मुकदमे को खारिज कर दिया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 18.05.1976 के आदेश को बरकरार रखा।उज्जैन के विद्वान सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और फरमान से व्यथित होने के कारण, डुंगाजी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील संख्या 26-ए/1989 को प्राथमिकता दी।उक्त अपील को अनुज्ञात कर लिया गया।विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने डूंगाजी को सुनवाई का अवसर देने के बाद मामले को विद्वान सिविल न्यायाधीश को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया।इसके बाद डुंगाजी ने मध्य प्रदेश राज्य और कावेरीबाई के खिलाफ उज्जैन के विद्वान सिविल न्यायाधीश के समक्ष 2002 में एक दीवानी मुकदमा दायर किया ताकि यह घोषणा की जा सके कि अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अवैध और अमान्य है और वादी और कावेरीबाई के बीच तलाक की घोषणा के लिए और यह भी घोषणा की जा सके कि वादी (डुंगाजी) के पास अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत अतिरिक्त भूमि नहीं है।

/

/

/

/

/

/

/

984

/

[2019] 9 एस सी आर।

2.2 कि, यह मूल वादी-डुंगाजी की ओर से मामला था कि उनकी तीन पत्नियाँ थीं-कावेरीबाई, काशीबाई और नानीबाई।काशीबाई और नानीबाई से शादी करने के बाद, उनकी पहली पत्नी कावेरीबाई ने उनके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया और परिणामस्वरूप, परिवार में दैनिक झगड़े से तंग आकर, उन्होंने समुदाय में प्रचलित प्रथा के अनुसार मुकदमा दायर करने से 17 साल पहले कावेरीबाई को तलाक दे दिया था।वादी के अनुसार उक्त तलाक के बाद वह और कावेरीबाई अलग रह रहे थे और उनके बीच पति-पत्नी का कोई संबंध नहीं था।वादी के अनुसार, उपरोक्त तलाक के बाद, कावेरीबाई ने अपनी माँ अमृतबाई के साथ रहना शुरू कर दिया।अमृतबाईहाद की मृत्यु हो गई और इस तरह कावेरीबाई को अपनी माँ-अमृता बाई के स्वामित्व वाली भूमि विरासत में मिली थी और उसी भूमि को कावेरीबाई के नाम से भी परिवर्तित कर दिया गया था।वादी ने दलील दी कि कावेरीबाई के स्वामित्व वाली उपरोक्त भूमि से उनका कोई सरोकार नहीं है और इसलिए इसे डुंगाजी के परिवार की जोत में शामिल नहीं किया जा सकता है।वादी के अनुसार, तलाक के बाद भी कावेरीबाई के साथ वादी के परिवार के सदस्य के रूप में गलत व्यवहार किया जा रहा है।वादी के अनुसार, 18.05.1976 दिनांकित आदेश अमान्य था और वादी के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं था।वादी ने यह भी अनुरोध किया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांकित 18.05.1976 आदेश पारित करते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

/

/

/

2.3 कावेरीबाई मूल प्रतिवादी नं.3 एक लिखित बयान दायर किया और स्वीकार किया कि उसका वादी-डंगाजी से तलाक हो गया था।उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें अपनी मां-अमृताबाई से 19.89 हेक्टेयर जमीन विरासत में मिली थी।मूल प्रतिवादी सं।1 और 2-मध्य प्रदेश राज्य और एक

अन्य (इसमें अपीलकर्ता) ने एक अलग लिखित बयान दायर करके मुकदमे का विरोध किया। प्रतिवादी सं।1 और 2 ने इस बात से इनकार किया कि डुंगाजी का कभी भी कावेरीबाई के साथ तलाक हो गया था और उनकी माँ से विरासत में मिली भूमि को डुंगाजी के परिवार के कब्जे वाली भूमि में शामिल नहीं किया जाना था।विचारण न्यायालय ने आवश्यक मुद्दों को विरचित किया।पक्षों ने अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया।साक्ष्य की सराहना पर, विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने निर्णय और डिक्री दिनांक 22.10.2002 द्वारा मुकदमे को खारिज कर दिया।विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने विशेष रूप से अवलोकन किया और अभिनिर्धारित किया कि वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि वादी और कावेरीबाई के बीच कोई प्रथागत तलाक हुआ है।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और फरमान की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई।मूल वादी 2003 की दूसरी अपील No.580 के माध्यम से मामले को उच्च न्यायालय में ले गया। उच्च न्यायालय ने विधि के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्नों को विरचित किया:

/

/

/

/

985

एम. पी. और ए. एन. आर. बनाम राज्यडूंगाजी (डी) एल. आर. एस. और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

“1. क्या दोनों न्यायालयों द्वारा नीचे दिए गए निष्कर्षों को स्वर्गीय डुंगाजी और स्वर्गीय श्रीमती के बीच प्रथागत तलाक के रूप में दर्ज किया गया था। स्वर्गीय डुंगाजी और स्वर्गीय श्रीमती दोनों के दस्तावेजों और शपथपत्रों के समर्थन वाले मौखिक साक्ष्य की अवहेलना करते हुए कावेरीबाई को साबित नहीं किया गया था, वे विकृत और मनमाना थीं। हालाँकि, कावेरीबाई ने इस मुद्दे पर कोई जिरह नहीं की थी और केवल अनुमानों या संदेह पर कोई खंडन नहीं किया गया था कि इस तरह के तलाक के सिद्धांत को अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधान को विफल करने के लिए रखा गया था?2. क्या संपत्ति श्रीमती को विरासत में मिल सकती है? अपनी माँ से कावेरीबाई स्वर्गीय डुंगाजी की पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा हैं और इस प्रकार उन्हें अधिशेष घोषित किया जाता है?

/

/

3. क्या सक्षम प्राधिकारी कोई जांच किए बिना स्वर्गीय डुंगाजी की आपत्तियों को खारिज कर सकता था जो अधिकतम सीमा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य थी? "

2.4 कि आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च विचारण न्यायालय ने उक्त अपील को अनुज्ञात कर लिया है और प्रथम अपीलीय विचारण न्यायालय के साथ-साथ विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को खारिज कर दिया है और मुकदमे को खारिज कर दिया है और परिणामस्वरूप मुकदमे का फैसला सुनाया है और यह भी माना है कि डूंगाजी और कावेरीबाई के बीच विवाह को प्रथागत तलाक के माध्यम से भंग कर दिया गया है, अधिनियम, 1960 के प्रावधान लागू होने से बहुत पहले और यह भी कि तलाक के बाद कावेरीबाई को अपनी मां से विरासत में मिली संपत्ति को, अधिशेष क्षेत्र के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए डूंगाजी की पारिवारिक संपत्ति नहीं माना जा सकता है।आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि सक्षम प्राधिकारी ने दिनांकित 18.05.1976 आदेश पारित करने से पहले विधि के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया था और इसके परिणामस्वरूप दिनांकित 18.05.1976 आदेश को अमान्य घोषित कर दिया है।

/

/

/

2.5 2003 की दूसरी अपील No.580 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल प्रतिवादी संख्या।1 और 2-मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

3. अपीलकर्ता-राज्य की ओर से विद्वान वकील सुश्री प्राची मिश्रा पेश हुईं और उत्तरदाताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरु कृष्ण कुमार पेश हुए।

4. अपीलार्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री प्राची मिश्रा ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि तथ्यों में और

/

मामले की परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को अनुमति देने और नीचे दिए गए दोनों न्यायालय ों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में गंभीर त्रुटि की है।

4.1 अपीलार्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री प्राची मिश्रा द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने सी. पी. सी.

की धारा 100 के अंतर्गत दूसरी अपील का निर्णय लेते समय अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है जो नीचे दिए गए दोनों न्यायालय ों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ था।4.2 अपीलार्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री प्राची मिश्रा द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की सराहना नहीं करने में भौतिक रूप से गलती की है कि अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अधिशेष के रूप में भूमि की धारा 2 एकड़ घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले मूल वादी द्वारा दायर मुकदमा बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा है कि सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अधिनियम, 1960 की धारा 46 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से वर्जित था।उनकी उपरोक्त दलीलों के समर्थन में, राज्य के विद्वान वकील ने सूरज बनाम एसडीओ (1995) 2 के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है।

/

/

/

एससीसी 45; मोहनलाल नानभाई चोकसी (मृत) एल. आर. एस. बनामगुजरात राज्य (2010) 12 एस. सी. सी. 726; धूलाभाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 78 और भारत संघ बनाम श्री कांत शर्मा (2015) 6

एससीसी 773।उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए और अधिनियम 1960 की धारा 46 पर भरोसा करते हुए, यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि मूल वादी द्वारा दायर किया गया मुकदमा दिनांक 18.05.1976 के सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाला मुकदमा बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं था।यह प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए, उच्च न्यायालय ने भूमि को अधिशेष भूमि के रूप में घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश अपास्त करते हुए करने और रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए दीवानी न्यायालय के समक्ष पूरी कार्यवाही अमान्य थी।

/

/

4.3 अपीलार्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री प्राची मिश्रा द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि गुण-दोष के आधार पर भी उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालय ों द्वारा डुंगाजी और कावेरीबाई के खिलाफ समवर्ती तथ्यात्मक निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने, अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर, विशेष रूप से अवलोकन किया और अभिनिर्धारित किया कि वादी डुंगाजी अपने और ए के बीच प्रथागत तलाक को साबित करने में विफल रहे हैं।

/

/

987

एम. पी. और ए. एन. आर. बनाम राज्यडूंगाजी (डी) एल. आर. एस. और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

कावेरीबाई।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को ठीक से नहीं समझने में भौतिक रूप से गलती की है कि अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर नीचे दिए गए दोनों न्यायालय ों ने विशेष रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि वादी-डुंगाजी डुंगाजी और कावेरीबाई के बीच प्रथागत तलाक को साबित करने में विफल रहे।

4.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा है कि कावेरीबाई ने स्वयं वर्ष 1971 में पदम सिंह के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया था जिसमें उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि वह डुंगाजी की पत्नी हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने सही पाया कि वादी डुंगाजी और कावेरीबाई के बीच किसी भी प्रथागत तलाक को साबित करने में विफल रहा है।

/

/

4.5 अपीलार्थी-राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री प्राची मिश्रा ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा है कि डुंगाजी प्रथागत तलाक के तथ्य को साबित करने और स्थापित करने में विफल रहे हैं और यह भी साबित नहीं किया है कि उनके समाज में ऐसी प्रथागत प्रथा मौजूद है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबंध में ऐसा कोई सबूत नहीं दिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि, विधि के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार, हिंदू विवाह को केवल हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार ही भंग किया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय ने स्वप्नांजली संदीप पाटिल बनाम संदीप आनंद पाटिल (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 329; सुब्रमण्यम बनाम एम. के मामले में अभिनिर्धारित किया है।

/

चंद्रलेखा (2005) 9 एस. सी. सी. 407 और यमनजी जे. जाधव बनाम निर्मला

/

(2002) 2 एस. सी. सी. 637, यदि किसी समुदाय में एक प्रथागत तलाक प्रथा का दावा किया जाता है तो उसे स्पष्ट रूप से स्थापित करने की आवश्यकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, मूल वादी तलाक/प्रथागत तलाक के तथ्य को साबित करने और स्थापित करने में विफल रहा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में जब साक्ष्य की सराहना पर दोनों न्यायालय

ों ने वादी द्वारा अनुरोध किए गए एक प्रथागत तलाक को एक साथ अस्वीकार कर दिया, तो सी. पी. सी. की धारा 100 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष विधि का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को अनुमति देने और वादी द्वारा अनुरोध किए गए प्रथागत तलाक पर नीचे दिए गए दोनों न्यायालय ों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों अपास्त करते हुए करने और अलग करने में भौतिक रूप से गलती की है।

/

/

4.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील की अनुमति दी जाए।

/

988

/

[2019] 9 एस सी आर।

5. प्रतिवादी (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरु कृष्ण कुमार ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।

5.1 प्रतिवादी (ओं) की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरु कृष्ण कुमार ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने घोषणा की डिक्री पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की है कि डुंगाजी और कावेरीबाई के बीच विवाह वर्ष 1962 में भंग कर दिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार डूंगाजी और कावेरीबाई के बीच प्रथागत तलाक के अनुसार तलाक हो जाने के बाद, कावेरीबाई के कब्जे वाली भूमि को डूंगाजी के परिवार की जोत में शामिल नहीं किया जा सकता था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि, इसलिए, उच्च न्यायालय ने अपील को उचित रूप से अनुज्ञात कर लिया है।

/

/

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपील को स्वीकार करते हुए और मुकदमे का आदेश देते हुए, उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड पर प्रासंगिक साक्ष्य पर विचार किया है जिसमें तलाक का विलेख; पीडब्लू1-पदम सिंह का बयान; पीडब्लू2-राम चंद्र का बयान; पीडब्लू3-मंगीलाल का बयान और कावेरीबाई का शपथपत्र शामिल है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहाँ मूल प्रतिवादियों ने तलाक के तथ्य पर दृढ़ता से गवाही देने वाले उपरोक्त गवाहों में से किसी से भी जिरह नहीं की है।यह प्रस्तुत

किया जाता है कि इसलिए उपरोक्त गवाहों के बयान को निचली अदालतों के समक्ष चुनौती नहीं दी गई।5.3 प्रतिवादी (ओं) की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरु कृष्ण कुमार ने आगे यह प्रस्तुत किया कि कावेरीबाई द्वारा धारित भूमि, जिसे उन्होंने अपनी मां से विरासत में प्राप्त किया था, को डुंगाजी के परिवार की जोत में शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी और अधिनियम 1960 के अंतर्गत पालन की जाने वाली किसी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, इसलिए वादी द्वारा सक्षम प्राधिकरण के 18.05.1976 दिनांकित आदेश को अमान्य घोषित करने की घोषणा के लिए दायर किया गया मुकदमा बनाए रखने योग्य था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मुकदमे में मांगी गई राहत अधिनियम 1960 की धारा 46 में उल्लिखित दो श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आएगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमुख मुद्दा डुंगाजी और कावेरीबाई के बीच तलाक के संबंध में है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उक्त मुद्दा अधिनियम 1960 की धारा 46 के अंतर्गत शामिल नहीं था।प्रतिवादी (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरु कृष्ण कुमार द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि जैसा कि इस न्यायालय ने द्वारका प्रसाद अग्रवाल बनाम रमेश चंदर अग्रवाल (2003) 6 एस. सी. सी. 220 के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि अधिकार क्षेत्र का बार ए

/

/

/

/

/

989

एम. पी. और ए. एन. आर. बनाम राज्यडूंगाजी (डी) एल. आर. एस. और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

दीवानी न्यायालय के बारे में आसानी से अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है और दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को रोकने की मांग करने वाले प्रावधान के लिए सख्त व्याख्या की आवश्यकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है, न्यायालय , यह अच्छी तरह से तय किया गया है, आम तौर पर निर्माण के पक्ष में झुकता है, जो दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को बनाए रखेगा।

5.4 यह प्रतिवादी (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गुरु कृष्ण कुमार द्वारा प्रस्तुत किया गया है-मूल वादी कि अन्यथा भी सक्षम प्राधिन्यायालय ण की ओर से एक गंभीर प्रक्रियात्मक चूक थी, सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं किया जा सकता है।अपने उपरोक्त निवेदन के समर्थन में मूल वादी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने धुलाभाई (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर जोरदार भरोसा किया है।

/

/

5.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

6. संबंधित पक्षों की ओर से लंबे समय तक उपस्थित विद्वान वकील को सुना।शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सी. पी. सी. की धारा 100 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूसरी अपील की अनुज्ञात है और नीचे दिए गए दोनों न्यायालय ों द्वारा दर्ज समवर्ती निष्कर्षों को उलट दिया है और परिणामस्वरूप मुकदमे का फैसला सुनाया है और घोषणा की है और अभिनिर्धारित किया है कि डूंगाजी और कावेरबाई के बीच विवाह को प्रथागत तलाक के माध्यम से भंग कर दिया गया था, अधिनियम 1960 के प्रावधानों के लागू होने से बहुत पहले।उच्च न्यायालय ने अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिशेष भूमि के रूप में अधिशेष भूमि घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांकित 18.05.1976 आदेश को भी रद्द कर दिया है।विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर विशेष रूप से अवलोकन करते हुए मुकदमे को खारिज कर दिया कि वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि समाज की प्रचलित प्रथा के अनुसार वादी-डुंगाजी और कावेरीबाई के बीच तलाक पहले ही हो चुका है।विद्वत विचारण विचारण न्यायालय ने भी विशेष रूप से अवलोकन किया और अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर अभिनिर्धारित किया कि प्रदर्शनी पी1 में तलाक विलेख का निष्पादन साबित नहीं हुआ है।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और फरमान की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई।हालाँकि, सी. पी. सी. की धारा 100 के अंतर्गत दूसरी अपील में, उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के उपरोक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप किया है।अतः इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि क्या तथ्यों में और

/

/

/

/

/

मामले की परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को दूसरी अपील को स्वीकार करने और इसके परिणामस्वरूप मुकदमे का आदेश देने में न्यायसंगत ठहराया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि डुंगाजी और कावेरीबैहाद के बीच विवाह को प्रथागत तलाक के माध्यम से भंग कर दिया गया था और इसलिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांकित 18.05.1976 द्वारा पारित आदेश अमान्य है?

7. संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर साक्ष्य और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 1 के आदेश द्वारा और मध्य प्रदेश कृषि जोत सीमा अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत पालन की जाने वाली उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, सक्षम प्राधिकरण ने अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत 2 एकड़ भूमि को अधिशेष भूमि घोषित किया।चूंकि डूंगाबाई की पत्नी कवेरीबाई को अपनी मां अमृतबाई से 19.89 हेक्टेयर भूमि विरासत में मिली थी, इसलिए, वह उपरोक्त भूमि की पूर्ण स्वामी बन गईं।अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पत्नी द्वारा धारण की गई भूमि को पति के परिवार के स्वामित्व में शामिल करना आवश्यक था।इसलिए, सक्षम प्राधिकरण ने डूंगाजी के परिवार के स्वामित्व में 19.89 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया और इसके परिणामस्वरूप 18.05.1976 के आदेश द्वारा 57.32 एकड़ भूमि को अधिशेष भूमि घोषित किया।यह विवाद में नहीं है कि भूमि को अधिशेष भूमि घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अधिनियम 1960 (अधिनियम 1960 की धारा 41 और 42) के अंतर्गत प्रदान की गई अपील और आगे के संशोधन के अधीन है।अधिनियम 1960 की धारा 46 में प्रावधान है कि किसी भी दीवानी न्यायालय को किसी भी ऐसे प्रश्न को निपटाने, निर्णय लेने या उससे निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसे अधिनियम 1960 द्वारा या उसके अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निपटाने, निर्णय लेने या निपटाने की आवश्यकता है।इसलिए, अधिनियम 1960 की धारा 46 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को चुनौती देने वाले मुकदमे की रखरखाव के खिलाफ एक पूर्ण प्रतिबंध होगा।उपरोक्त के बावजूद और 1960 के अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिन्यायालय ण द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी अपील/संशोधन को प्राथमिकता दिए बिना, डूंगाजी ने सिविल कोर्ट के समक्ष मुकदमा दायर न्यायालय सक्षम प्राधिन्यायालय ण के दिनांकित आदेश को अमान्य घोषित न्यायालय ने की घोषणा के लिए अनुरोध किया।इसलिए, अधिनियम 1960 की धारा 46 के अंतर्गत प्रतिबंध पर विचार करते हुए, सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश को चुनौती देते हुए डुंगाजी द्वारा दायर मुकदमा, बिल्कुल भी विचारणीय नहीं था।यह सच है कि मुकदमे में वादी ने यह घोषणा करने के लिए भी प्रार्थना की कि ए के आधार पर डुंगाजी और कावेरीबाई के बीच तलाक हुआ था।

/

/

/

/

/

/

/

991

एम. पी. और ए. एन. आर. बनाम राज्यडूंगाजी (डी) एल. आर. एस. और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.] ए.

प्रथागत प्रक्रिया।इसलिए, उसी राहत को बनाए रखने योग्य कहा जा सकता है।लेकिन निश्चित रूप से, सक्षम प्राधिकरण द्वारा दिनांकित 18.05.1976 द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाला मुकदमा बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं था।हम जो विचार ले रहे हैं, वह सूरज (उपरोक्त); मोहनलाल नानभाई चोकसी (सुप्रा) और धुलाभाई (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसलों से समर्थित है।मूल वादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए धुलाभाई (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा और/या यह मुकदमे में मांगी गई किसी भी राहत पर लागू नहीं होगा।इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश अपास्त करते हुए करने और रद्द करने में भौतिक रूप से गलती की है।

/

/

8. अब, जहाँ तक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश की बात है, जिसमें कहा गया है कि डूंगाजी और कावेरीबाई के बीच विवाह को प्रथागत तलाक के माध्यम से भंग कर दिया गया था, अधिनियम 1960 के प्रावधानों के लागू होने से बहुत पहले और इसलिए तलाक के बाद, कावेरीबाई द्वारा अपनी माँ से विरासत में मिली संपत्ति को अतिरिक्त क्षेत्र के निर्धारण के उद्देश्यों के लिए डूंगाजी की पारिवारिक संपत्ति का स्वामित्व नहीं माना जा सकता है, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दोनों न्यायालय ों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष थे जो विशेष रूप से डूंगाजी-मूल वादी द्वारा दावा किए गए प्रथागत तलाक के माध्यम से डूंगाजी और कावेरीबाई के बीच विवाह के विघटन को अस्वीकार करते थे।नीचे दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के समवर्ती निष्कर्ष थे कि मूल वादी यह साबित करने और स्थापित करने में विफल रहा है कि समाज की प्रचलित प्रथा के अनुसार डुंगाजी और कावेरीबाई के बीच तलाक पहले ही हो चुका था।नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने विशेष रूप से प्रदर्शनी पी5 में तलाक विलेख को अस्वीकार कर दिया।उपरोक्त निष्कर्षों को नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर दर्ज किया गया था।इसलिए, सी. पी. सी. की धारा 100 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय नीचे दिए गए दोनों न्यायालय ों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के उपरोक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था।उपरोक्त निष्कर्षों पर पहुँचते समय नीचे दिए गए

दोनों न्यायालयों द्वारा ठोस कारण दिए गए थे और वह भी अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना के बाद। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सी. पी. सी. की धारा 100 के अंतर्गत दूसरी अपील में आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

/

/

/

/

/

992

/

[2019] 9 एस सी आर।

9. यहां तक कि गुण-दोष के आधार पर भी नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों का यह मानना सही था कि डुंगाजी प्रथागत तलाक को साबित करने में विफल रहे जैसा कि दावा किया गया था।यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इससे पहले कभी भी डंगाजी या कावेरीबाई ने प्रदर्शनी पी5 में तलाक विलेख के आधार पर प्रथागत तलाक का दावा नहीं किया था।इससे पहले कभी भी डूंगाजी और/या कावेरीबाई की ओर से यह मामला नहीं था कि वर्ष 1962 में डूंगाजी और कावेरीबाई के बीच तलाक हो गया था।वर्ष 1971 में, कावेरीबाई ने पदम सिंह के पक्ष में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया जिसमें कावेरीबाई को डूंगाजी की पत्नी बताया गया है।सक्षम प्राधिकारी के समक्ष न तो डुंगाजी और न ही कावेरीबाई ने प्रथागत तलाक का दावा किया।यहां तक कि राजस्व अभिलेख में भी कावेरीबाई का नाम डूंगाजी की पत्नी के रूप में परिवर्तित किया गया था।परिस्थितियों में और अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना पर, विचारण विचारण न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि वादी प्रथा के अनुसार डुंगाजी और कावेरीबाई के बीच तलाक को साबित करने में विफल रहा है।

/

/

9.1 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, कावेरीबाई ने आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं।सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, उन्होंने केवल इतना कहा कि वह डुंगाजी से अलग रह रही हैं और पदम सिंह के पुत्र रमेश चंद्र को उनके द्वारा गोद लिया गया है।हालाँकि, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष न तो डुंगाजी और न ही कावेरीबाई ने विशेष रूप से अनुरोध किया और/या कहा कि उन्होंने 1960 के अधिनियम के लागू होने से बहुत पहले ही रीति-रिवाजों के अनुसार तलाक ले लिया है।इसलिए, जैसा कि विद्वत विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय

द्वारा केवल अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के प्रावधानों से बाहर निकलने की दृष्टि से उचित रूप से देखा गया था, बाद में और बहुत देर से, डुंगाजी प्रथागत तलाक का मामला लेकर आए।जैसा कि विद्वत विचारण विचारण न्यायालय द्वारा ठीक ही कहा गया है कि अधिकतम सीमा अधिनियम 1960 के प्रावधानों से बाहर निकलने की दृष्टि से प्रदर्शनी पी5 में तलाक विलेख तैयार किया गया था और मनगढ़ंत दस्तावेज बनाया गया था।जैसा कि ऊपर देखा गया है, उच्च न्यायालय ने न्यायालय ों द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में स्पष्ट रूप से गलती की है, जो नीचे अभिलेख पर साक्ष्य के मूल्यांकन पर थे।

/

/

/

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 29.10.2010 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है और विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को इसके द्वारा बहाल किया जाता है।नतीजतन, डुंगाजी द्वारा दायर मुकदमा खारिज हो जाता है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

/

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील अनुज्ञात ।